

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./श.क./सी/67(17)/अध्या.संवि./2017-18/724
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 मई 2018

जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)
मध्यप्रदेश।


विषय :- अध्यापक संवर्ग के अन्तर्निकाय संविलियन हेतु जारी अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ :- लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र./श.क./सी/67(7)/अध्या.संवि./2017-18/545-546,
दिनांक 16.04.18

:: 00 ::

हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्ड्री स्कूलों में अध्यापक संवर्ग के अन्तर्निकाय संविलियन हेतु जारी अनुमति पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संदर्भित-पत्र से वर्तमान कार्यरत संस्था से कार्य मुक्त नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

2/ स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित शैक्षणिक शालाओं के लिए (आदिवासी क्षेत्र से गैर आदिवासी एवं गैर आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र एवं आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र की शालाओं को छोड़कर) अन्तर्निकाय संविलियन की अनुमति प्राप्त अध्यापकों के पदांकन की कार्रवाई दिनांक 24.05.18 से 31.05.18 तथा कार्यमुक्ति की कार्रवाई दिनांक 01.06.18 से 08.06.18 तक पूर्ण की जावे।


(जयश्री कियुक्त)
आयुक्त


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./श.क./सी/67(17)/अध्या.संवि./2017-18/725

भोपाल, दिनांक 23 मई 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
 2. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजाती कार्य विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास, सतपुड़ा-भवन, भोपाल।
- की ओर अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
 8. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश।
 9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
 10. समस्त सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास मध्यप्रदेश।
 11. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर परिषद्/नगर पंचायत मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश